संचिका सं०–03/परी०–BTSC(अधि0) 01–04/2025...2756 पटना, दिनांक–23/08/2025

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–06/2025 से 18/2025, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों हेतु

CWJC No.-11600/2025 रौशन कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–29.07.2025 को पारित न्यायादेश एवं तदालोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1404(02) दिनांक–07.08.2025 से प्राप्त परामर्श के आलोक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में वैसे सभी समरूप मामले जिनमें अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित Cut-off date से पूर्व सभी आवश्यक वांछित योग्यताएँ प्राप्त हैं परन्तु, मात्र उनका निबंधन Cut-off date के बाद हुआ है, को नियुक्ति प्रक्रिया/दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने हेतु Qualified घोषित करने का परामर्श दिया गया है।

उक्त न्याय–निर्णय एवं विभागीय परामर्श के आलोक में वैसे सभी अभ्यर्थी, जो दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किये गये एवं दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित रहे तथा निबंधन के आधार पर अयोग्य किये गये वैसे सभी अभ्यर्थियों को निदेश है कि **अपना निबंधन प्रमाण–पत्र जिसमें संबंधित विषय के Diploma/MD/MS/DNB का उल्लेख हो** की स्व–अभिप्रमाणित प्रति **दिनांक–25.08.2025 से 27.08.2025 तक** की अवधि में आयोग के Website-www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर Upload बटन पर Click करके निबंधन प्रमाण–पत्र Upload कर सकते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विभागीय परामर्श के द्वारा केवल निबंधन प्रमाण–पत्र के दिनांक–01.04.2025 से पूर्व का निर्गत होने की बाध्यता को शिथिल किया गया है। परन्तु, Diploma/MD/MS/DNB का निबंधन होना अनिवार्य है। उक्त अवधि के पश्चात् निबंधन प्रमाण–पत्र (Diploma/MD/MS/DNB के उल्लेख सहित) प्रस्तुत नहीं करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया जायेगा एवं इस संबंध में किसी आवेदन/परिवाद पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह भी कि इस अवधि में निबंधन प्रमाण–पत्र के अलावा अन्य किसी दस्तावेज/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– वैसे सभी अभ्यर्थी, जिन्हें निबंधन के आधार पर अयोग्य कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया, हेतु अलग से सूचना प्रकाशित की जायेगी।

अपर सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\SMO\Suchna JanSampark\Notice (Website)_15